गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक–01 /प्रवर्तन जोन–8/2016 दिनांक–08/02/2016

सेवा में,

मै0 एम0आर0 प्रोब्यू रियलटेक प्रा0लि0
द्वारा डायरेक्टर श्री विजय कुमार व अन्य
बी–66, सैक्टर–63, नोएडा।

विषय :– पार्ट सम्पूर्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

मै0 एम0आर0 प्रोब्यू रियलटेक प्रा0लि0 द्वारा खसरा संख्या–376, 377, 378, ग्राम–सिकन्दरपुर एव खसरा संख्या–293, 342 से 360, 462, 493, 494 व 495 ग्राम–पसोंडा पर निर्माणाधीन ग्रुप हाउसिग शालीमार सिटी के टावर कदम–ए, इवोनी–ए, इवोनी–बी, कोरल–ए, कोरल–बी एवं शैण्डल–ए के आंशिक सम्पूर्ति प्रमाण पत्र जारी करने की उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 04.02.2016 को निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी है :–

शर्तें:–

1. पक्ष को पूर्व स्वीकृत मानचित्र व संशोधित स्वीकृत मानचित्र की समस्त शर्तो का अनुपालन करना होगा।
2. अग्नि शमन उपकरणों को सदैव कियाशील रखना होगा एवं अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण–पत्र में अंकित शर्तो का पालन करना होगा तथा प्रत्येक वर्ष इसका नवीनीकरण कराना होगा एवं नवीनीकरण प्रमाण–पत्र की एक प्रति प्राधिकरण कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
3. संरचना सुरक्षा एवं अन्य सम्बन्धित उपकरणों की सुरक्षा का दायित्व स्वयं निर्माणकर्ता का होगा।
4. किसी भी विपरीत परिस्थिति में होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माणकर्ता का होगा।
5. आवेदक/निर्माणकर्ता के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत सभी शपथ पत्रों एवं वचन बद्धताओं का अनुपालन से करना होगा किसी भी शपथ पत्र/वचन बद्धता की किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा मे निर्गत आंशिक सम्पूर्ति प्रमाण–पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
6. उ0प्र0 अपार्टमेन्ट एक्ट–2010 के प्राविधानों के अनुपालन में प्रस्तुत Declaration का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
7. प्राधिकरण द्वारा भविष्य में बढे हुए विकास व्यय या अन्य कोई शुल्क की मांग की जाती है तो वह शुल्क निर्माणकर्ता को प्राधिकरण कोष में जमा कराना होगा।
8. वाहय विकास कार्य पूर्ण होने पर सीवर कनेक्शन व वाटर कनेक्शन की अनुमति गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से प्राप्त करने का दायित्व निर्माणकर्ता एजेन्सी का होगा।
9. नियमानुसार आर0डब्ल्यू0ए0 के गठन एवं आर0डब्ल्यू0ए0 को सभी सुविधाओं सहित हस्तानान्तरण तक समस्त सुविधाओं आदि का अनुरक्षण डेवलपर द्वारा ही कराया जायेगा।
10. लिफ्ट की सुरक्षा का नियमानुसार समय–समय पर परीक्षण कराना होगा एवं परीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति प्राधिकरण में उपलब्ध कराना होगा।

संलग्नक :–प्रस्तुत आवेदन पत्र के भाग– (अ– कदम–ए, इवोनी–ए, इवोनी–बी, कोरल–ए,कोरल–बी एवं शैण्डल–ए), (ब) व (स) की फोटो प्रति साथ में संलग्न है।

JE

08/02/16
पी0 कु0 शर्मा AE
(प्रमोद कुमार शर्मा)
सहायक अभियन्ता
गा0वि0प्रा0

(पी0के0 शर्मा–I),
सहायक अभियन्ता
प्रवर्तन जोन–8

Scanned by CamScanner